



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 ज्येष्ठ 1948 (श10)

(सं० पटना 626) पटना, मंगलवार, 16 जून 2026

मत्स्य निदेशालय

आदेश

13 जून 2026

सं० म०/स्था०अरा०(मु०)-20/2025-1185/मत्स्य—सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16100, दिनांक-23.08.2023 में निहित प्रावधानों के तहत जिला अनुकम्पा समिति, सिवान की दिनांक-05.08.2025 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय एवं समाहरणालय सिवान (जिला स्थापना शाखा) के ज्ञापांक-26 (मु०)/स्था०, दिनांक- 05.08.2025 के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर स्व० देवेन्द्र कुमार सिंह, प्रधान लिपिक, जिला मत्स्य कार्यालय, सिवान के पुत्र श्री निखिल सिंह रमण को बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग के अधीन निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर समूह 'ग' के ग्रेड पे- 1900/ पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन स्तर- 2 में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्तों के साथ पूर्णतः अस्थायी रूप से योगदान की तिथि से नियुक्त करते हुए जिला मत्स्य कार्यालय, सिवान में निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

- यह नियुक्ति मृत सरकारी सेवक के आश्रित के भरण-पोषण के निमित्त की जाती है। नवनियुक्त कर्मचारी का यह दायित्व होगा कि संबंधित मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण का दायित्व पूरी जिम्मेवारी के साथ निर्वाह करेंगे अन्यथा इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए इनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है।
- संबंधित कर्मचारी को योगदान के पूर्व किसी असैनिक शल्य चिकित्सक से अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अपने नियंत्री पदाधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- नियुक्ति के बाद किसी भी समय शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रादि में कोई धोखाधड़ी अथवा जालसाजी की सूचना प्राप्त होने पर इन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त करते हुए फौजदारी मुकदमा भी दायर किया जा सकता है एवं उक्त अवधि में लिये गये वेतनादि के रूप में प्राप्त की गई राशि वापस करनी होगी।
- पदभार ग्रहण करते समय दहेज नहीं लेने-देने सम्बन्धी घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा।

6. इनकी नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16100, दिनांक-23.08.2023 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगी। उक्त प्रावधान में निहित दायित्व का अवहेलना गंभीर कदाचार माना जायेगा तथा इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी चलाई जा सकती है।
7. नव नियुक्त कर्मी की सापेक्ष वरीयता बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग में मानी जाएगी।
8. पदभार ग्रहण करने के समय इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

यदि यह पाया जायेगा कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण रूपेण निर्वाह नहीं कर रहा है, तो वैसी स्थिति में इनकी कुल परिलब्धियों का यथोचित अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
निदेशक मत्स्य।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 626-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>